भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH GC 541175

शपथ पत्र (अ)

समक्ष– सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ

हम अनादिश्वर त्रिपाठी अध्यक्ष एवं सचिव अनिल त्रिपाठी क्रमशः अध्यक्ष सचिव बी0एम0एस0डी0 चैरिटेबल ट्रस्ट वार्ड नं0 5 ग्राम व पोस्ट भटनी जिला देवरिया शपथ पूर्वक निम्नवत् बयान करते है –

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा एस0डी0बी0एम0 फार्मेसी कालेज मड़पही भटनी देवरिया नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्ताविक है।
2. यह कि हमारी बी0एम0एस0डी0 चैरिटेबल ट्रस्ट वार्ड नं0 5 ग्राम व पोस्ट भटनी जिला देवरिया गाटा संख्या 57ख, 99ख, 107ख, 104ख, 106ख, रकबा 1.037 हे0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 57ख, 99ख, 107ख, 104ख, 106ख, रकबा 1.037 हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान के स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 22/02/2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर नियमित एवं निर्धारित भवनो को ही निरक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

यह कि भूमि एव इस पर निर्मित भवनो पर फार्मेसी काउन्सील आफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमो के अंतर्गत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

पेज क्रमशः 2 पर

NOTARY U.P. GOVT. INDIA

100 501 30-08-2023

अनादिश्वर त्रिपाठी

31-03-24

8. यह कि इस संस्थान मे फार्मेसी काउसील आफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बन्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउसील आफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध को अन्य संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलाश रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउसील आफ इण्डिया नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलि भांति पालन करूंगा यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षक एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा, इसे हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

13. मै घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है, यदि दी गई जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कुटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते है तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानूनसंगत कार्यवाही की जा सकेगी ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वंय उत्तरदायी होउंगा।

हस्ताक्षर सचिव

हस्ताक्षर अध्यक्ष

NOTARY
Licence No.
U.P. INDIA

No. Date A.M./P.M
Have Administered Oath To Shri
Identified by Shri
Have satisfied
Understands the Contents
explained to have
Notary, Tahsil